पत्रांक – जे0एस0 1/1091/05
5009

झारखण्ड सरकार
निबंधन विभाग।

प्रेषक,

मो0 युसुफ,
सहायक निबंधन महानिरीक्षक,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक 7-2-08

सेवा में,

संस्था के सचिव/~~अध्यक्ष,~~

बिहार प्रदेश युवा परिषद
मु० आबाद गंज (मिशन बालिका उच्च विद्यालय के समीप)
पो०- मेदिनीनगर (डालटनगंज)
जिला - पलामू

विषय : स्मृति–पत्र एवं नियमावली की छायाप्रति अभिप्रमाणित प्रति निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन के आलोक में निबंधित संस्था के स्मृति–पत्र एवं नियमावली की छाया–प्रति की अभिप्रमाणित प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
7.2.08
(मो0 युसुफ)
सहायक निबंधन महानिरीक्षक।

(186)

बिहार प्रदेश युवा परिषद्
का
स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम :— बिहार प्रदेश युवा परिषद्

2. संस्था का निबंधित कार्यालय :— मोहल्ला— आबादगंज
मिशन बालिका उच्च विद्यालय के समीप
पोस्ट — मेदिनीनगर (डालटनगंज)
थाना — मेदिनीनगर,
ग्राम / शहर— आबादगंज, जिला— पलामू

3. कार्यक्षेत्र :— सम्पूर्ण भारत

3.A **अविभाजित बिहार के निबंधन काल की आस्तियां एवं दायित्व :**

यह संस्था अविभाजित बिहार राज्य में बिहार प्रदेश युवा परिषद् नाम से निबंधित संस्था जिसका निबंधन संख्या 370 एवं वर्ष 1989—90 है के आस्तियों तथा दायित्वों को ग्रहण करती है।

4. संस्था का उद्देश्य :—

(क) बेरोजगार युवा वर्ग के सदस्यों के विकास के लिए शैक्षणिक, सामाजिक, नैतिक, शारीरिक एवं सांस्कृतिक विकासात्मक कार्यक्रम चलाने का प्रयास करना।

(ख) शिक्षित बेरोजगार युवक एवं युवतियों के लिए स्व—नियोजन हेतु विभिन्न प्रकार के लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का संचालन करने का प्रयास करना।

(ग) समाज में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हर स्तर पर बालक, बुढे एवं असहाय पुरूष तथा महिला, इत्यादि की सेवा करने का प्रयास करना।

(घ) समय—समय पर युवकों, महिलाओं, बुढे एवं असहाय लोगों की संगोष्ठी बुलाकर उनका आत्म—स्वावलम्बी बनाने हेतु शैक्षणिक कार्यक्रम चलाने का प्रयास करना।

(ड0) समाज के विकास हेतु कसिदाकारी, पेंटिग, बंजर भूमि का विकास व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर, परिवार कल्याण शिविर, बालवाडी, आंगनवाडी एवं पर्यावरण समस्याओं के निदान का प्रयास करना।

(च) समाज के विकास के लिए समाज से संबंधित आवश्यकताओं एवं समस्याओं पर अध्ययन, शोध एवं सामग्री प्रकाशन का प्रयास करना।

(छ) यह परिषद राजनीतिक, सम्प्रदायिक तथा जातिय मामले से अलग होकर रचनात्मक और अहिंसात्मक का कार्यक्रम प्रणाली के रूप में कार्य करेगी।

16

5. **संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का विवरण :–**

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम, पूर्ण पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, पेशा, पदनाम एवं हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो अंकित है, संस्था की वर्तमान नियमावली के अनुसार संस्था की कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं :–

क्र0	पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम	पूर्ण पता मकान सं0/ होल्डिंग नं0 गली/रोड सं0– मुहल्ला–पोस्ट– थाना–ग्राम/ शहर–जिला– (मकान अपना है या किराये का है अंकित करें) दूरभाष सं.	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	संस्था में पदनाम	स्वहस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	अरूण कुमार तिवारी पिता– श्री मुरारी तिवारी	ग्राम+ पो0– तोलरा, थाना– रेहला जिला– पलामू	41	एम.ए.	समाज सेवा	अध्यक्ष	
2.	बलराम सिंह पिता– श्री चौपाई सिंह	ग्राम0– औराटांड पो0– मनिका थाना– मनिका जिला– लातेहार	42	मैट्रिक	कृषि	उपाध्यक्ष	
3.	[illegible] कुमार सिन्हा पिता– स्व0 मुनिश्वरी शरण	मु0– आबादगंज, (मिशन बालिका उच्च विद्यालय) पो0– मेदिनीनगर जिला– पलामू	42	बी.एससी.	समाज सेवा	महासचिव	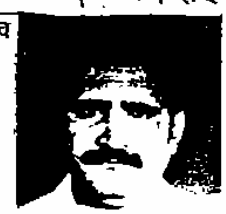
4.	विपिन कुमार बनपर, पिता– श्री रामजन्म महतो	ग्राम– [illegible], पो0– [illegible] थाना– पाटन, जिला– पलामू	40	डिप्लोमा (सिविल इंजिनियरिंग)	व्यवसाय	सचिव	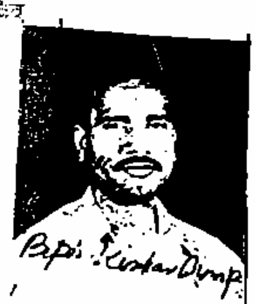

महासचिव

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5.	बच्चू ठाकुर पिता– श्री भुनेश्वर ठाकुर	ग्राम+ पो0– तोलरा, थाना– रेहला जिला– पलामू	42	10वीं	कृषि व्यवसाय	कोषाध्यक्ष	
6.	लाल जन्मेजाय नाथ शाहदेव, पिता– लाल फनिन्द्र नाथ शाहदेव	ग्राम+पो0– बारी थाना– चन्दवा जिला– लातेहार	43	बी.कम. एलएलबी	कृषि	सदस्य	
7.	श्रीमति जसिन्ता कुजूर, पति– श्री आसीत उरांव	ग्राम+पो0– मनिका, थाना– मनिका जिला– लातेहार	42	इंटर	समाजसेविका	सदस्य	
8.	सुशीला देवी, पति– स्व0 दयानन्द सिंह	मु0– पंचफेड़ी ग्राम– सिंजो पो0– मनिका जिला– लातेहार	[illegible]	मैट्रिक	गृहणी	सदस्य	
9.	बलराम सिंह पिता– स्व0 राम प्रताप सिंह	ग्राम– कटुअल पो0– कटुअल थाना– चैनपुर जिला– पलामू	41	बी.ए. (आ0)	व्यवसाय	सदस्य	 Balram Singh

NOTARY Rabindra Prasad Daltonganj, Palamu Govt. of Jharkhand

BIHAR PARDESH YUVA PARISHAD B.R.N. MEDININAGAR

महासचिव

(14)

6. आकांक्षी व्यक्तियों की सूची एवं विवरण :–

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम, पूर्ण पता, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, पेशा हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो नीचे अंकित है, संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत उस संस्था के निबंधन के आकांक्षी है :–

क्र0	पूरा नाम, पिता/पति का पूरा नाम	पूर्ण पता मकान सं0/ होल्डिंग नं0 गली/रोड सं0– मुहल्ला–पोस्ट–थाना–ग्राम/ शहर–जिला– (मकान अपना है या किराये का है अंकित करें) दूरभाष संख्या	उम्र	शैक्षणिक योग्यता	पेशा	स्वहस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट आकार का फोटो
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	अरूण कुमार तिवारी पिता– श्री मुरारी तिवारी	ग्राम+ पो0– तोलरा, थाना– रेहला जिला– पलामू	41	एम.ए.	समाज सेवा	
2.	बलराम सिंह पिता– श्री चौपाई सिंह	ग्राम0– औराटांड पो0– मनिका थाना– मनिका जिला– लातेहार	42	मैट्रिक	कृषि	
3.	अजय कुमार सिन्हा पिता– स्व0 मूनेश्वरी [illegible]	मु0– आबादगंज (मिशन बालिका उच्च विद्यालय) पो0– मेदिनीनगर जिला– पलामू	42	बी.एससी.	समाज सेवा	
4.	श्रीमती जसिन्ता कुजूर, पति– श्री आसीत उरांव	ग्राम+पो0– मनिका, थाना– मनिका जिला– लातेहार	42	इन्टर	समाजसेविका	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5.	बच्चू ठाकुर पिता– श्री भुनेश्वर ठाकुर	ग्राम+ पो0– तोलरा, थाना– रेहला जिला– पलामू	42	10वीं	कृषि व्यवसाय	
6.	लाल जन्मेजय नाथ शाहदेव, पिता– लाल फनिन्द्र नाथ शाहदेव	ग्राम+पो0– बारी थाना– चन्दवा जिला– लातेहार	43	बी.कम. एलएलबी	कृषि	
7.	विपिन कुमार बनपर, पिता– श्री रामजन्म महतो	ग्राम– छेछौरी, पो0– लामीपतरा थाना– पाटन जिला– पलामू	40	डिप्लोमा (सिविल इंजीनियरिंग)	व्यवसाय	 Bipin Kumar Banpar
8.	सुशीला देवी, पति– स्व0 दयानन्द सिंह	मु0– पंचपेड़ी ग्राम– [illegible] पो0– मनिका, जिला– लातेहार	[illegible]8	नन मैट्रिक	गृहणी	
9.	बलराम सिंह पिता– स्व0 राम प्रताप सिंह	ग्राम– [illegible] पो0– कटुअल थाना– चैनपुर जिला– पलामू	[illegible]	बी.ए. (आ0)	व्यवसाय	 Balram Singh

यह सच्ची प्रतिलिपि है।

निबंधन महानिरीक्षक

(12)

1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
10.	ख्याली प्रसाद यादव पिता– श्री कामेश्वर यादव	ग्राम– औराटांड़ पो0– मनिका जिला– लातेहार	40	मैट्रिक	कृषि	
11.	जागा सिंह पिता– श्री पुरन सिंह	ग्राम– सिंजो पो0– मनिका जिला– लातेहार	39	इंटर	अमीनी	
12.	लालजी उरांव पिता– श्री रूपन उरांव	ग्राम– जुगूर, पो0– पल्हेया थाना– मनिका जिला– लातेहार	38	मैट्रिक	अमीनी	
13.	सुखदेव नायक पिता– स्व0 महावीर नायक	ग्राम– औराटांड पो0– मनिका थाना– मनिका जिला– लातेहार	28	मैट्रिक	कृषि	

NOTARY
Rabindra Prasad
Daltonganj, Palamu
Reg. I-A No./Law
09/03/2881J
Govt. of Jharkhand

THE OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION

अरुण कुमार सिन्हा

महानिरीक्षक

अभिप्रमाणित प्रतिलिपि

निबंधन महानिरीक्षक

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
14.	रमेश सिंह पिता-- स्व0 मनोहर सिंह	ग्राम– तमदागा पो0-- घरटीया थाना– विश्रामपुर जिला– पलामू	38	9वीं	कृषि	 रमेश सिंह

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त व्यक्ति, जिनका फोटो ऊपर चिपका है तथा हस्ताक्षर ऊपर अंकित है. ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया है।

(Rabindra Prasad)
Notary, Daltonganj

राजपत्रित पदा0 (राज्य अथवा केन्द्रीय)
डाक्टर्स / इंजीनियर्स / नोटरी / विद्यालय / महाविद्यालय के प्राचार्य / बैंक या इन्श्योरेन्स आफिसर्स / पब्लिक सेक्टर के पदाधिकारी आदि
(नाम, पदनाम एवं मुहरयुक्त हस्ताक्षर)

NOTARY
Rabindra Prasad
Daltonganj, Palamu
Reg.-1-A Not/Law
99/03 2681 J
Govt. of Jharkhand

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है।

बिहार प्रदेश युवा परिषद्
की
नियमावली

1. परिभाषा :

(i) परिषद्/संस्था से अभिप्राय है :– बिहार प्रदेश युवा परिषद्
(ii) समिति से अभिप्राय है :– संस्था की कार्यकारिणी समिति।
(iii) वित्तीय वर्ष से अभिप्राय है :– 1 अप्रैल से 31 मार्च प्रतिवर्ष
(iv) आम सभा से अभिप्राय है :– संस्था के सभी सदस्यों से बनी सभा।
(v) पदाधिकारी से अभिप्राय है :– अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष।
(vi) अधिनियम से अभिप्राय है :– संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 एवं बिहार संस्था निबंधन नियमावली 1965 (झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत तथा अधिसूचना संख्या 726 दिनांक 18–11–2005 से यथा संशोधित)।

3. संस्था की सदस्यता की शर्तें :

(क) प्रथम सदस्यता ग्रहण :– परिषद् की सदस्यता ग्रहण करने के लिए कोई भी इच्छुक व्यक्ति जो राजनीति, साम्प्रदायिक तथा जातिय भावना से परे हो एवं रचनात्मक और अहिंसात्मक कार्यप्रणाली में विश्वास रखते हों वे 31/–रू0 की आर्थिक रकम प्रदान कर प्रथम सदस्यता प्राप्त कर सकता है। इस श्रेणी के सदस्यों को 11/–रू0 प्रति वर्ष आर्थिक शुल्क देना होगा।

(ख) आजीवन सदस्यता – 101/–रू0 की आर्थिक रकम प्रदान कर प्राप्त किया जा सकता है जिसके लिए प्रथम सदस्यता के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

4. संस्था की सदस्यता की समाप्ति :
निम्नलिखित परिस्थितियों में परिषद् के किसी भी पदधारी एवं कार्यकर्त्ता को पद से हटाया जा सकता है :
(क) राष्ट्र के अहित कार्यों में संलग्न होने पर।
(ख) यदि इस पर अपराधी मामलों में संबंध होने के कारण अदालत द्वारा दण्डित किया गया हो ।
(ग) परिषद् के नियमों का उल्लंघन करने पर।
(घ) बिना उचित कारण बताए वह परिषद् के कार्यों से एक वर्ष से परे रहा हो।
(ड0) परिषद् के सामाजिक सम्पति कोष का दुरूपयोग करने पर ।

महासचिव

उपरोक्त निर्णय अनिवार्यतः कार्यकारिणी की एक बैठक में प्रस्ताव करके लिया जायगा। इस बैठक में कम से कम आधे से एक अधिक सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।

5. **कार्यकारिणी समिति का गठन :**

(i) संस्था की कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारियों सहित कुल 9 नौ सदस्य होंगे। जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक सचिव और एक कोषाध्यक्ष होंगे।

(ii) अगली चुनाव करने के लिए परिषद् के कुल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक सदस्यों की उपस्थिति बहुमत होने पर ही कोरम पुरा करेगा।

6. **कार्यकारिणी समिति का कार्य एवं अधिकार :**

(क) नीति निर्धारण

(ख) कार्यकम का कियान्वयन

(ग) कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। इस अवधि के ... अगर कोई पद रिक्त होता है तो कार्यकारिणी बहुमत के आधार पर किसी भी सदस्य को उक्त पद पर नामांकित कर सकती है। कार्यकारिणी के रिक्त स्थानों की पूर्ति सामान्य सदस्यों में से बहुमत के आधार पर किया जायेगा।

(घ) कार्यकारिणी समिति परिषद के प्रशासन, नियंत्रण, प्रबन्धन से संबंधित प्र... कार्य करने की शक्ति होगी और समस्याओं का निपटारा करेगी।

7. **अन्य समिति के कर्त्तव्य :**

(क) **संरक्षक मण्डल :** कार्यकारिणी समिति परिषद के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए एक संरक्षक मण्डल नामांकित करेगी, जिसमें एक ... संरक्षक तथा चार सह-संरक्षक होंगे। संरक्षक मण्डल को परामर्श तथा दिशा निर्देश का अधिकार होगा, परन्तु मतदान करने के अधिकार नहीं होंगे।

8. **पदाधिकारियों का कार्य एवं अधिकार :**

(क) **अध्यक्ष का कर्त्तव्य :**

क— निर्धारित नियमों के अनुसार बैठकों की अध्यक्षता करना।

ख— विशेष बैठकें बुलाना।

ग— समय सीमा का ध्यान रखते हुए बैठकों में सदस्यों का ध्यान विचारणीय विषयों पर केन्द्रित रखना।

घ— परिषद् के कार्यकम में नियमितता भंग नहीं होने देना।

महासचिव

(ख) उपाध्यक्ष का कर्त्तव्य :

क– अध्यक्ष का सहयोग करना।
ख– विभिन्न समितियों एवं जिले के कार्य से संबंध करना।
ग– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठको की अध्यक्षता करना।
घ– अध्यक्ष के लम्बे समय की गैर हाजिरी में अथवा उसके त्याग पत्र देने की स्थिति में उनके कार्यो का संचालन और कर्त्तव्य का निर्वाहण करना।

(ग) महासचिव का कर्त्तव्य :

परिषद के संचालन का प्रमुख दायित्व महासचिव पर होगा। कार्यकारिणी तथा साधारण सभा की बैठक बुलाना, उसकी कार्यवाही का विवरण तैयार करना। कार्यकारिणी तथा साधारण सभा द्वारा पारित प्रस्तावों को कियान्वित करना, साधारण सभा की बैठक में वार्षिक कार्य–कलापों, आय–व्यय, लेखा–जोखा प्रस्तुत करना तथा उन सभी कार्यो को सम्पन्न कराना जिनके लिए कार्यकारिणी से निर्देश प्राप्त हो।

महासचिव परिषद के कार्यपालक अधिकारी होंगे। परिषद का प्रशासनिक कार्य करेंगे। परिषद के पते पर भेजे गये सभी पत्रों और दस्तावेजों को प्राप्त करेंगे। पत्राचार तैयार करेंगे तथा परिषद की हर पंजी और अभिलेख रखेंगे।

(घ) सचिव का कर्त्तव्य :

महासचिव के कार्यो में सहयोग प्रदान करना एवं अनुपस्थिति में उनके सभी कार्यो का सम्पादन करना।

(ङ0) कोषाध्यक्ष का कर्त्तव्य :

क– परिषद के कोष के संरक्षक की तरह कार्य करना।
ख– सदस्यता शुल्क एवं अन्यान्य रकम का हिसाब रखना।
ग– परिषद के आय–व्यय का हिसाब रखना।
घ– परिषद को सुदृढ़ बनाने के लिए आर्थिक साधनों का पता लगाना।
ङ– महासचिव के साथ मिलकर सभी तरह के लेखा को ठीक रखना।
च– अन्यान्य कार्यकम जो उन्हें सुपूर्द किया जाय।

BIHAR PRADESH YUVA PARISHAD
B.R.N.-37/(89-90)
MEDININAGAR

9. आमसभा का कार्य एवं अधिकार :

(i) पदाधिकारियों सहित कार्यकारिणी के सदस्यों का निर्वाचन।
(ii). संस्था की योजना, बजट, अंकेक्षित लेखा एवं प्रगति प्रतिवेदन को पारित करना।
(iii) संस्था की लेखा के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति करना।
(iv) संस्था के स्मृति पत्र एवं नियमावली में संशोधन लाना।
(v) संस्था के विघटन पर निर्णय लेना।

10. आमसभा की बैठकें :

(क) आमसभा की वार्षिक बैठक वर्ष में एक बार होगी तथा आमसभा की विशेष बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है।

(ख) आमसभा के 1/3 सदस्यों के लिखित मांग, जिसमें अधियाचना करने वाले सदस्यों का हस्ताक्षर एवं बैठक में विचारणीय बिन्दु का स्पष्ट उल्लेख रहेगा, पर अधियाचना प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर संस्था के सचिव को आमसभा की बैठक बुलानी होगी। यदि तीस दिनों के भीतर सचिव द्वारा बैठक नहीं बुलाई जायेगी तब अधियाचना करने वाले सदस्यों को अधिकार होगा कि वे आमसभा के सभी सदस्यों को सूचना भेजकर आमसभा की अधियाचित बैठक का आयोजन कर अधियाचना में अंकित विषय पर निर्णय ले सकते हैं।

(ग) कोरम :— आमसभा की सभी बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्य संख्या के आधे से एक अधिक होगी (50% + 1)

(घ) बैठक की सूचना :—
(i) आमसभा की सभी बैठकों के लिए सूचना बैठक की तिथि से कम से कम दस दिनों पूर्व दी जाएगी।
(ii) बैठक की सूचना निबंधित डाक या सूचना बही में हस्ताक्षर प्राप्त करके दी जाएगी।

11. कार्यकारिणी समिति की बैठकें :— प्रत्येक चार माह में कम–से–कम एक बार जरूर होनी चाहिए।

12. आय का श्रोत :— परिषद का सदस्यता शुल्क, स्थानीय जिला प्रशासन, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा विकास के संचालन हेतु स्वीकृत योजना, कार्य राशि एवं अन्य स्त्रोत से प्राप्त आय, गैर–सरकारी संस्थाओं का सहयोग, ऋण, दान एवं अनुदान की राशि।

13. **कोष की व्यवस्था/बैंक खाते का संचालन :**

संस्था का खाता स्थानीय राष्ट्रीयकृत बैंक में कार्यकारिणी के द्वारा इसके लिए विशेष रूप से बुलाई गई बैठक के निर्णय में अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किये जाने पर खोला जायगा जिसका संचालन महासचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

14. **अंकेक्षण :**

(क) संस्था की लेखा का संधारण नियमित रूप से रखा जाएगा तथा प्रत्येक वर्ष आमसभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक (चाटर्ड एकाउन्टेन्ट) से उसका अंकेक्षण कराया जाएगा।

(ख) निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची जब भी चाहें संस्था की लेखा का अंकेक्षण किसी चाटर्ड एकाउन्टेन्ट से करा सकते हैं, जिसका शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जाएगा।

(ग) वर्ष में एकबार परिषद के खातों का अंकेक्षण होगा। इसके लिए अंकेक्षण मंडल की नियुक्ति 3 की संख्या में आम सभा में बहुमत के आधार पर किया जायगा। अंकेक्षण के लिए परिषद के कार्यकर्त्ता होना जरूरी नहीं है।

15. **संशोधन :–** संस्था के स्मृति पत्र एवं नियमावली में कोई भी संशोधन संस्था की आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा तथा संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 की संगत धारा एवं झारखण्ड संस्था नियमावली के संगत नियम का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।

16. **पंजी की निरीक्षण :–** संस्था की सभी पंजियाँ संस्था के निबंधित कार्यालय में संस्था के महासचिव के जिम्मे रहेंगी जहाँ कोई भी सदस्य/सरकारी अधिकारी महासचिव की पूर्व अनुमति से उनका निरीक्षण कर सकते हैं।

17. **कानूनी कार्रवाई :–** संस्था द्वारा या संस्था के विरूद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई संस्था के अध्यक्ष एवं महासचिव के पदनाम से होगी।

18. संस्था का विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पति की व्यवस्था :

(i) यदि किसी कारणवश संस्था का विघटन करने की आवश्यकता कार्यकारिणी समिति द्वारा समझी जाएगी तब कार्यकारिणी समिति तत्संबंधी प्रस्ताव पारित कर उसे आमसभा की विशेष बैठक में रखेगा। आमसभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से ही संस्था के विघटन पर निर्णय लिया जाएगा तथा उसे पुनः आमसभा की दूसरी विशेष बैठक के 3/5 बहुमत से सम्पुष्ट कराने के बाद ही संस्था विघटित होगी।

(ii) विघटन के बाद संस्था के सभी दायित्वों के सामंजन के बाद संस्था की जो भी सम्पति शेष रहेगी, वह संस्था के किसी सदस्य या वाह्य व्यक्ति को नहीं दी जाएगी, बल्कि आमसभा के 3/5 सदस्यों के बहुमत से समान उद्देश्य वाली झारखण्ड राज्य में निबंधित किसी संस्था या झारखण्ड सरकार को दे दी जाएगी।

(iii) संस्था के विघटन के समय संस्था निबंधन अधिनियम 21, 1860 की धारा–13 एवं 14 का पूर्णतः पालन किया जाएगा।

19. अस्तियॉ एवं दायित्व :–सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया यह संस्था अविभाजित बिहार राज्य में "बिहार प्रदेश युवा परिषद" नाम से निबंधित संस्था, जिसका निबंधन संख्या–370 वर्ष–.1989–90 है। के अस्तियों एवं दायित्वों को ग्रहण करती है।

प्रमाणित किया जाता है कि यह **बिहार प्रदेश युवा परिषद्** नामक संस्था की नियमावली की सच्ची प्रति है।

सचिव 25/12/05	महासचिव	अध्यक्ष 25/12/05

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND OOAA 997033

THE SEAL OF THE OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL ...

यह सच्ची अभिप्रमाणित प्रतिलिपि है

ह्ते, निबंधन महानिरीक्षक, झारखण्ड

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND 01AA 274961

SEAL OF THE OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION, JHARKHAND